भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
ल खत प्रश्न सं. †1164
सोमवार, 25 जुलाई, 2022/03 श्रावण, 1944 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

च कत्सा पर्यटन

†1164. श्री मद्दीला गुरूमूर्तिः
श्री कुरूवा गोरांतला माधवः
डॉ. बीसे ी वेंकट सत्यवतीः
कुमारी राम्या हरिदासः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या वर्ष 2022 तक भारत में च कत्सा पर्यटन क्षेत्र के बढ़कर 13 बि लयन अमेरिकी डॉलर होने की संभावना है और यदि हां, तो सरकार द्वारा भारत में च कत्सा मूल्य यात्रा को प्रोत्साहित करने के लए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) अंतरराष्ट्रीय रो गयों की आवश्यकताओं का ध्यान रखने हेतु स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों के प्र शक्षण और क्षमता निर्माण के लए उठाए गए कदम और देश में च कत्सा पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लए की गई अन्य पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या च कत्सा पर्यटन के संबंध में निजी च कत्सा क्षेत्र के वनियमन के लए नीतियां मौजूद हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पछले चार वर्षों के दौरान वपणन वकास सहायता योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य पर्यटन सेवा प्रदाताओं और च कत्सा पर्यटन सेवा प्रदाताओं को प्रदान की गई वत्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या च कत्सा और स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लए को वड-19 केंद्रित कोई उपाय कए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. कशन रेड्डी)

(क) से (घ): च कत्सा मूल्य यात्रा और निरोगता पर्यटन को देश के वकास में वृ द्ध करने की क्षमता रखने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में अ भज्ञात करते हुए पर्यटन मंत्रालय ने च कत्सा एवं निरोगता पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत के संवर्धन के लए अनेक कदम उठाए हैं जो निम्नानुसार है:-

i. च कत्सा एवं निरोगता पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत के संवर्धन के लए एक सुदृढ़ कार्यढांचे के सृजन और केन्द्र सरकार में मंत्रालयों , राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के

बीच तालमेल के लए पर्यटन मंत्रालय ने च कत्सा और निरोगता पर्यटन के लए एक राष्ट्रीय कार्यनीति और रोडमैप तैयार कया है। यह कार्यनीतिक दस्तावेज निम्न ल खत प्रमुख स्तम्भों पर फोकस करता है:-

(क)निरोगता गंतव्य के रूप में भारत के लए एक ब्रांड तैयार करना

(ख) च कत्सा एवं निरोगता पर्यटन के लए इको सस्टम को सुदृढ़ बनाना

(ग)ऑनलाइन मे डकल वैल्यू ट्रैवल (एमवीटी) पोर्टल की स्थापना द्वारा डजिटलीकरण को सम्भव बनाना

(घ) च कत्सा मूल्य यात्रा के लए पहुंच को बेहतर बनाना

(ङ) निरोगता पर्यटन का संवर्धन

(च)शासन एवं संस्थागत कार्य ढाँच

ii. च कत्सा पर्यटन संवर्धन के अ भयान को आगे ले जाने के लए एक सम पंत संस्थागत कार्यढांचा प्रदान करने के लए पर्यटन मंत्रालय ने माननीय मंत्री (पर्यटन) महोदय की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय च कत्सा एवं निरोगता पर्यटन बोर्ड का गठन कया है।

iii. देश के व भन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों के संवर्धन के लए पर्यटन मंत्रालय वर्तमान में जारी अपने कार्यकलापों के एक भाग के रूप में 'अतुल्य भारत' ब्रांड लाइन के अन्तर्गत महत्वपूर्ण एवं सम्भा वत वदेशी बाजारों में वैश्विक प्रंट , इलेक्ट्रॉनिक तथा ऑनलाइन मी डया अ भयान जारी करता है। च कत्सा पर्यटन की थीम सहित व भन्न थीमों पर मंत्रालय के सोशल मी डया अकाउंट्स के माध्यम से निय मत रूप से डजिटल संवर्धन भी कया जाता है।

iv. 'च कत्सा वीजा' की शुरूआत की गई है जो च कत्सा उपचार के वशेष प्रयोजन के लए भारत आने वाले वदेशी यात्रियों को दिया जा सकता है। देश में च कत्सा पर्यटन के संवर्धन के लए भारत सरकार 156 देशों के नागरिकों को ई-च कत्सा वीजा सु वधा प्रदान कर रही है।

v. पर्यटन मंत्रालय बाजार वकास सहायता योजना के अन्तर्गत एनएबीएच द्वारा मान्यताप्राप्त च कत्सा पर्यटन सेवाप्रदाताओं को च कत्सा/पर्यटन मेलों , च कत्सा सम्मेलनों, निरोगता सम्मेलनों, निरोगता मेलों और सम्बद्ध रोड शोज़ में भागीदारी के लए वत्तीय सहायता प्रदान करता है। पछले चार वत्तीय वर्षों के दौरान बाजार वकास सहायता योजना के अन्तर्गत निरोगता पर्यटक सेवाप्रदाताओं और च कत्सा पर्यटक सेवाप्रदाताओं के लए 17**,70,499** रु. की वत्तीय सहायता जारी की गई है।

(ड.): को वड-19 के प्रभाव को कम करने के लए सरकार ने देश में पर्यटन क्षेत्र की बहाली के लए अनेक उपायों की घोषणा की है जिनमें च कत्सा और निरोगता पर्यटन शा मल हैं। ववरण अनुबंध में दिया गया है।

****

को वड के बाद देश के पर्यटन क्षेत्र के पुन र्वकास के लए भारत सरकार द्वारा घो षत कये गए व भन्न वत्तीय राहत उपाय निम्नानुसार हैं:-

i. सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की जिसके माध्यम से सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) लाख करोड़ रुपये का 3 के लएसंपार्श्विक मुक्त स्वचा लत ऋण उपलब्ध कराया गया है। ऋण की अव ध साल की 4 महीने का ऋण-स्थगन होगी। 12 होगी और

ii. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत , तीन महीने के लए ईपीएफओ द्वारा कवर कए गए सभी प्रतिष्ठानों के लए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के भ वष्य नि ध योगदान को प्रत्येक के लए मौजूदा 12% से घटाकर प्रत्येक के लए 10% कर दिया गया है।

iii. पांच करोड़ रुपये तक की कंपनियों के लए बिना कसी दंडात्मक ब्याज के रिटर्न फाइ लंग तीन महीने के लए स्थ गत, बाकी पर 9% की दर से दंडात्मक ब्याज।

iv. सरकार ने 100 से कम का र्मकों वाले और जिनके 90% कर्मचारियों की आय 15000 रुपये से कम वाले, संगठनों के लए भ वष्य नि ध योगदान को तीन महीने के लए माफ कर दिया।

v. अक्टूबर 2020 तक स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस) का आस्थगन।

vi. केंद्र सरकार ने भी व्यापार निरंतरता और अस्तित्व सुनिश्चित करने के लए को वड -19 संकट को ध्यान में रखते हुए , अलग-अलग अव ध के लए आयकर अ धनियम , कंपनी अ धनियम और जीएसटी अ धनियम के तहत व भन्न नियामक अनुपालनों से राहत प्रदान की है।

vii. भारत सरकार ने 31.03.2021 को पात्र सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और व्यावसायिक उद्यमों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और अपने व्यवसाय को फर से शुरू करने में सहायता करने के लए आपातकालीन क्रे डट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) शुरू की है। आतिथ्य , यात्रा और पर्यटन और आराम और खेल क्षेत्रों में व्यावसायिक उद्यमों को कवर करने के लए योजना का दायरा बढ़ाया गया है। आतिथ्य क्षेत्र के लए 50 ,000 करोड़ रु. की अतिरिक्त संचयी नि ध का प्रावधान भी कया गया है। ईसीएलजीएस (ईसीएलजीएस 1.0 , ईसीएलजीएस 2.0 और ईसीएलजीएस 3.0) की वैधता को 31.03.2022 तक या 5.0 लाख करोड़ रुपये की रा श की गारंटी जारी होने तक बढ़ा दिया गया है।

viii. वत्त मंत्रालय ने **16.06.2021** को एसईआईएस स्क्रिप जारी करने की सहमति दी है। इससे पहले , कई उद्योग हितधारकों ने **2019-20** के लए एसईआईएस स्क्रिप्स जारी करने के लए सरकार से अपील की थी और डीजीएफटी ने **2019-20** के दौरान कए गए निर्यात के लए एसईआईएस के आवंटन के लए एक वस्तृत प्रस्ताव रखा था। सभी परिस्थितियों

को ध्यान में रखते हुए , व्यय वभाग , वत्त मंत्रालय ने **2061** करोड़ रुपये के वत्तीय आवंटन के साथ **2019-20** के लए एसईआईएस जारी रखने के वा णज्य वभाग के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन सहमति दी है क रा श एक नया लघु शीर्ष प्रदान करने की प्र क्रया का पालन करते हुए व्यय बजट के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

ix. **28** जून **2021** को , सरकार ने को वड **-19** महामारी से प्रभा वत अर्थव्यवस्था के व भन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देने और वकास एवं रोजगार के उपायों को गति प्रदान करने के लए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। पैकेज में तीन व्यापक श्रे णयों में कुल **17** उपाय शा मल हैं , जिसमें 'महामारी से आ र्थक राहत , स्वास्थ्य और पुनर्जीवन यात्रा और पर्यटन क्षेत्रों पर वशेष ध्यान देने के साथ ' ' वकास एवं रोजगार के लए प्रोत्साहन ' शा मल हैं।

x. पर्यटन मंत्रालय ने को वड प्रभा वत पर्यटन सेवा क्षेत्र के लए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीटीएसएस) शुरू की है जिसका लक्ष्य उन्हें सम्पर्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करना है। इस योजना में पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित टूर ऑपरेटर/यात्रा एजेंट/पर्यटन परिवहन ऑपरेटर में से प्रत्येक 10.00 लाख रु. तक का और पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आरएलजी/आईआईटीजी और राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा अनुमोदित पर्यटक गाइड में से प्रत्येक 1.00 लाख रु. तक का सम्पार्श्विक मुक्त ऋण लेने के पात्र हैं। यह योजना 18 अनुसू चत वा णज्यिक बैंकों के माध्यम से पहले ही प्रचालनरत है। योजना की वैधता एक और वर्ष अर्थात 31.03.23 तक अथवा योजना के तहत 250.00 करोड़ रु. की गारंटी जारी होने तक के लए बढ़ा दी गई है।

xi. को वड-19 के पश्चात पुनुरूत्थान की तैयारी की दृष्टि से , मंत्रालय ने 08.06.2020 को होटल, रेस्तरां, बीएंडबी/होमस्टे और पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लए को वड सुरक्षा और स्वच्छता के लए वस्तृत परिचालन दिशानिर्देश तैयार कए और जारी कए हैं ता क व्यवसाय को फर से सुचारू रूप से शुरू कया जा सके।

xii. होटल, रेस्तरां, बी एंड बी और अन्य इकाइयों के सुर क्षत संचालन के लए को वड-19 और उससे आगे के संदर्भ में जारी दिशानिर्देशों/एसओपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लए साथी (आतिथ्य उद्योग के लए आकलन , जागरूकता और प्र शक्षण के लए प्रणाली) नामक एक पहल वक सत की गई है।

xiii. होटल और अन्य आवास इकाइयों के अनुमोदन या प्रमाणीकरण की वैधता , जिनकी परियोजना अनुमोदन/पुनः अनुमोदन और वर्गीकरण/पुनः वर्गीकरण समाप्त हो गई है/समाप्त होने की संभावना है, को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

xiv. पर्यटन उद्योग में हितधारकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से , हितधारकों को घरेलू पर्यटन के संवर्द्धन के लए वत्तीय सहायता प्रदान करने हेतु बाजार वकास सहायता - योजना के लए दिशा(एमडीए)

निर्देशों को योजना के दायरे और पहुंच बढ़ाने हेतु, ता क हितधारकों को अ धकतम लाभ प्रदान हो सकें , संशो धत कया गया है । ऑनलाइन प्रचार सहित अतिरिक्त प्रचार गति व धयों को शा मल कया गया है और अनुमेय वत्तीय सहायता की सीमा को बढ़ाया गया है। वदेश संवर्धन और प्रचार योजना के तहत वपणन वकास सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देशों को संशो धत कया गया है ता क योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाया जा सके , ता क पर्यटन उद्योग में हितधारकों को अ धकतम लाभ प्रदान कया जा सके।

xv. देश में इनबाउंड पर्यटन को दोबारा शुरू करने और वदेशी पर्यटकों को आक षत करने के लए भारत सरकार ने सम्भा वत पर्यटन बाजारों से वदेशी पर्यटकों को पहले 5 लाख वीजा निशुल्क प्रदान कए हैं। पहले 5 लाख पर्यटक वीजा (नि:शुल्क वीजा) जारी करने के दौरान प्रति पर्यटक केवल एक बार नि:शुल्क वीजा का लाभ मलेगा।

xvi. को वड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के परिणामस्वरूप पर्यटन मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से व्यवसाय की निर्बाध बहाली के लए पर्यटन हितधारकों , होटलों और रेस्तरां को दिशानिर्देश/निर्देश जारी करता है ।

xvii. गृह मंत्रालय ने दिनांक 15 मार्च , 2022 से 156 देशों के वदेशी नागरिकों के लए ई-पर्यटन वीजा बहाल कर दिया है। पूरे वश्व में वैक्सीनेशन कवरेज में वृ द्ध के मद्देनजर और हितधारकों के परामर्श से भारत सरकार ने 27 मार्च , **2022** से भारत से अनुसू चत वा णज्यक अंतर्राष्ट्रीय यात्री सेवाओं की आवाजाही को बहाल कर दिया है।

****